

मध्य प्रदेश शासन

वित्त विभाग

मंत्रालय

क्रमांक: 1942 / आर 1180/11/ब-1/आर
प्रति,

आपाल, दिनांक 7/10/2011

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,

मध्य प्रदेश शासन

शासन के समस्त विभाग

(को-8 निर्माण, सिंचाई एवं लोक स्वास्थ्य मामलों विभाग का छोड़कर)

मंत्रालय, भोपाल ।

विषय— मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों को वित्तीय संस्वीकृतियों से संबंधित जारी समस्त आदेशों की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने बाबत ।

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत महालेखाकार, म0 प्र0 ग्वालियर द्वारा अवगत कराया गया है कि राज्य सरकारों तथा उनके अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा जारी वित्तीय संस्वीकृतियों एवं आदेशों की लेखा परीक्षा महालेखाकार कार्यालय द्वारा किया जाता है । समस्त वित्तीय संस्वीकृतियों (निर्माण विभाग जैसे लोक निर्माण, सिंचाई एवं लोक स्वास्थ्य मामलों विभागों को छोड़कर) की जायजापत्रित महालेखाकार, ग्वालियर को प्रेषित की जानी चाहिए । निर्माण विभागों से संबंधित वित्तीय संस्वीकृतियों का कार्यालय महालेखाकार (निर्माण एवं प्राप्ति ले0 प्र0) भोपाल को भेजा जाना चाहिये । महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर द्वारा अवगत कराया गया है कि बहुत कम संस्वीकृतियों महालेखाकार कार्यालय में प्राप्त होती हैं, जिससे लेखा परीक्षा में कमी पाई गई है ।

2/ अतः निर्देशानुसार अनुरोध है कि वित्तीय संस्वीकृतियों की पाठ महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर एवं महालेखाकार (निर्माण एवं प्राप्ति ले0प्र0) भोपाल को अनिवार्य रूप से प्रेषित करें । जिससे न्यूनतम वित्तीय निधनों के प्रावधानों का अनुपालन किया जा सके । साथ-ही यह भी अनुरोध है कि प्रत्येक विभाग को जारी संस्वीकृतियों की माहवार सूची भी महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

7/10/2011

(वीरेंद्र कुमार)

अवर सचिव


मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

/ / 2 / /

क्रमांक 1243 / आर-1150 / 11 / व-1 / चार,
प्रतिलिपि -

भाषाल, दिनांक 7 / 10 / 2011

- 1/ महालाखाकार (सोविल एवं वाणिज्यिक लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र स्ट्रालिगर की ओर
आपके पत्र क्रमांक कास-(वि) / संस्कीकृति / डी-76, दिनांक 26 / 5 / 2011
के संदर्भ में सूचनाएं जलौपित ।
 - 2/ आयुक्त, कौष एवं लेखा, पर्यावरण भवन, भाषाल ।
 - 3/ समस्त विभागाध्यक्ष, मध्य प्रदेश ।
 - 4/ समस्त कलेक्टर, मध्य प्रदेश ।
 - 5/ सभरत कौषालय अधिकारी, मध्य प्रदेश ।
- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रोषित ।


अवर सांचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग